संख्या: 96/2023/1351/छप्पन-2023-98/2013

प्रेषक,

कुमार हर्ष,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. आयुक्त,
आगरा मण्डल,
आगरा।

2. निदेशक,
नागरिक उड्डयन,
उ0प्र0, लखनऊ।

नागरिक उड्डयन अनुभाग लखनऊ: दिनांक: 19 सितम्बर, 2023

विषय: आगरा एयरपोर्ट पर नवीन सिविल ऐन्क्लेव के विकास हेतु अतिरिक्त भूमि का क्रय।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आयुक्त, आगरा मण्डल, आगरा के पत्र संख्या 1589/एल0बी0ए0-भूमि क्रय/2022-23 दिनांक 18 जुलाई, 2023 तथा निदेशक, नागरिक उड्डयन के पत्रांक 131/आर0सी0एस0-2023-ए-4/2019 दिनांक 18 अगस्त, 2023 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा आगरा एयरपोर्ट के विकास हेतु अतिरिक्त प्रस्तावित कुल भूमि 37.4336 है0 (लगभग 92.50 एकड़) के क्रय हेतु कुल अनुमानित रू0 1,23,59,27,574.00/- (एक अरब तेइस करोड़ उनसठ लाख सत्ताइस हजार पाँच सौ चौहत्तर रू0 मात्र) पर अनुमोदन प्रदान करने का प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराया गया था।

2- आगरा एयरपोर्ट पर नवीन सिविल ऐन्क्लेव के विकास हेतु अतिरिक्त भूमि का क्रय किए जाने के सम्बन्ध में मा0 मन्त्रि-परिषद की दिनांक 12 सितम्बर, 2023 को सम्पन्न बैठक में निम्नलिखित निर्णय लिए गए हैं:-

(1) आगरा एयरपोर्ट के विकास हेतु अतिरिक्त प्रस्तावित कुल भूमि 37.4336 है0 (लगभग 92.50 एकड़) के क्रय हेतु कुल अनुमानित रू0 1,23,59,27,574.00/- (एक अरब तेइस करोड़ उनसठ लाख सत्ताइस हजार पाँच सौ चौहत्तर रू0 मात्र) पर अनुमोदन प्रदान करते हुए प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के साथ व्यय किए जाने का अनुमोदन प्रदान किया गया।

(2) आपसी समझौते के आधार पर भूमि के क्रय की नीति विषयक राजस्व विभाग के शासनादेश संख्या 2/2015/215/एक-13-2015-20(48)/2011 दिनांक 19 मार्च, 2015 द्वारा विहित व्यवस्था के अनुसार अन्तिम रूप से ऑकलित भूमि को क्रय किए जाने तथा क्रय की गई भूमि को ''श्री राज्यपाल द्वारा निदेशक, नागरिक उड्डयन, उ0प्र0'' के नाम दर्ज किए जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

(3) परियोजना क्षेत्र के अन्तर्गत पड़ने वाली विभिन्न शासकीय विभागों की परिसम्पित्तयों यथा वृक्षों, सड़कों, नहरों, बिजली के खम्भों, विद्युत लाइन्स, सब-स्टेशनों, विद्यालयों, ऑगनवाड़ी केन्द्रों इत्यादि तथा विभिन्न अवरोधों के विस्थापन, डायवर्जन तथा नव-निर्माण से सम्बन्धित कार्य सम्बन्धित विभागों द्वारा अपने विभागीय बजट से वहन किए जाने तथा शासकीय

2/...

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

विभागों द्वारा अपनी भूमि एवं परिसम्पत्तियॉ इत्यादि नि:शुल्क एवं भारमुक्त रूप से नागरिक उड्डयन विभाग को उपलब्ध कराए जाने/अन्तरित किए जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया। यदि ऐसा करने से मा0 मन्त्रि-परिषद की स्वीकृति हेतु प्रस्तावित धनराशि में से कोई बचत होती है, तो बचत की धनराशि जिलाधिकारी आगरा द्वारा राजकोष में जमा कराई जाएगी।

(4) परियोजना में किसी भी प्रकार के परिवर्धन/परिवर्तन की स्थिति में निर्णय लेने हेतु तथा अन्य सम्बन्धी कार्यों के सम्बन्ध में भविष्य में यथावश्यकतानुसार निर्णय लेने हेतु मा0 मुख्यमंत्री जी को अधिकृत किए जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया आगरा एयरपोर्ट पर नवीन सिविल ऐन्क्लेव के विकास हेतु अतिरिक्त भूमि का क्रय किए जाने के लिए मा0 मन्त्रि-परिषद द्वारा लिए गए उपर्युक्त निर्णयों के आलोक में अग्रतर आवश्यक कार्यवाही यथाशीघ्र कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
कुमार हर्ष
विशेष सचिव

पृ0सं0- 96/2023/1351(1)/छप्पन-2023 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, न्याय/वित्त/कार्मिक/गृह/राजस्व/ग्राम्य विकास/पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन/सिंचाई एवं जल संसाधन/लोक निर्माण/पंचायती राज/अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास/पर्यटन/धर्मार्थ कार्य/बेसिक शिक्षा/उच्च शिक्षा/माध्यमिक शिक्षा/महिला कल्याण/बाल विकास एवं पुष्टाहार/नियोजन/स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन/आई0टी0 इलेक्ट्रॉनिक्स एवं ऊर्जा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2. जिलाधिकारी, आगरा।
3. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
आनन्द कौशिक
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।